



प्रेषक,

निर्मेश कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 12.03.2025

विषय:- जनपद आगरा में डिफेन्स कॉरिडोर आगरा नोड के विकास हेतु 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र तथा तत्संबंधी 33 के0वी0 स्वतंत्र लाईन एवं 08 किमी0 11 के0वी0 के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक-5222/यूपीडा/2053/2023/आ0नोड दिनांक 20.12.2024 एवं पत्रांक 3969/3969/यूपीडा/24/2053/53/डि0का0(आ0नोड) दिनांक 10.10.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना की स्थापना हेतु जनपद आगरा में आगरा नोड के विकास हेतु 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र तथा तत्संबंधी 33 के0वी0 स्वतंत्र लाईन एवं 08 किमी0 11 के0वी0 हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित लागत रू0 942.93 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु लागत के सापेक्ष धनराशि रू0 471.47 (रुपये चार करोड़ इकहतर लाख सैंतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	लखनऊ	डिफेन्स कॉरिडोर आगरा नोड के विकास हेतु 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र (2x5 एमवीए) तथा तत्संबंधी 33 के0वी0 स्वतंत्र लाईन (132 के0वी0 ताजगंज उपकेन्द्र से) एवं 08 किमी0 11 के0वी0 लाईन के निर्माण	942.93	471.47

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) यूपीडा द्वारा धनराशि आहरित करके अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, सिकन्दरा, आगरा को उनकी मांग के क्रम में उपलब्ध करायी जायेगी।
 - (2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
 - (3) यूपीडा द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता , विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, सिकन्दरा, आगरा से प्राप्त कर यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
 - (4) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
 - (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
 - (7) उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 1976 के संबंधित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होगा ।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,71,47,000 (रुपये चार करोड़ इकहतर लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-247-X-2024-25-दिनांक:12-3-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
8. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
10. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग उ०प्र० शासन ।
11. वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
12. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)

उप सचिव